हरियाणा दिवस, 2024

प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भाषाई और सांस्कृतिक पहचान:** सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग हरियाणा ने आज़ादी के बाद पंजाब से स्वायत्तता की मांग की।
  - **राज्य का दर्जा देने की मांग:** प्रमुख नेताओं ने हरियाणा की सांस्कृतिक और भाषाई विशिष्टता पर ज़ोर देते हुए एक हिंदी भाषी राज्य की वकालत की।
  - **पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966:** भारतीय संसद द्वारा पारित, यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्माण में महत्त्वपूर्ण था।
  - **शाह आयोग (1966): न्यायमूर्ति जे.सी. शाह** के अधीन गठित इस आयोग ने भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर विशिष्ट सीमाओं की सिफारिश की थी।
  - **सिफारिश: हरियाणा को** हिंदी भाषी आबादी के अनुरूप क्षेत्र आवंटित किये जाएँ, जिनमें **हिसार और गुड़गाँव** जैसे ज़िले भी शामिल हों।
- **महत्वपूर्ण व्यक्तित्व:**
  - **पंडित भगवत दयाल शर्मा:** हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, वे पूर्ण राज्य के लिये एक प्रमुख समर्थक थे।
  - **न्यायमूर्ति जे.सी. शाह:** शाह आयोग की अध्यक्षता की, जो हरियाणा की सीमाओं के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण था।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके नए राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया।
- **हरियाणा** एक नया राज्य था, जो राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल और महेंद्रगढ़ ज़िले शामिल थे।
- **हिमाचल प्रदेश में** पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971 में एक राज्य बना।
- पंजाब की राजधानी **चंडीगढ़** को पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में कार्य करने के लिये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 भारतीय संसद द्वारा **18 सितंबर, 1966** को पारित किया गया था। यह पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य पंजाबी भाषी राज्य बनाना था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-day-2024